सं. एनबी.डीएफ़आईबीटी.प्रका/13304-13386/डीएफ़आईबीटी-23/2018-19

08 मार्च 2019

परिपत्र सं. 54 /डीएफ़आईबीटी - 01 / 2018

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

बैंकों में आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्र (एईसी) की स्थापना के लिए सहायता: विस्तार

वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) सलाहकार मण्डल ने 25 फरवरी 2019 को उपर्युक्त योजना की समीक्षा की और बैंकों में मार्च 2019 तक स्थापित एईसी को शामिल करने और योजना की समयावधि को 30 सितंबर 2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. कृपया 27 जून 2018 का हमारा परिपत्र सं. 160 देखें जिसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

Support for setting up Aadhaar Enrolment and Update Centers (AECs) in Banks: Extension

The captioned scheme has been reviewed by the Financial Inclusion Fund (FIF) Advisory Board on 25 February 2019 and it has been decided to cover the AECs set up upto March 2019 by Banks and extend the time period the scheme up to 30 September 2019. We refer to our Circular no. 160 dated 27 June 2018, the following modifications have been effected there under:-

(i) 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के बीच स्थापित एईसी भी एफ़आईएफ़ के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं.

(ii) 31 मार्च 2019 तक एईसी की स्थापना के बाद बैंक 30 सितंबर 2019 तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं.

(iii) 01 दिसंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच स्थापित एईसी के लिए सहायता राशि रु.75,000/- होगी.

(iv) 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बजट की उपलब्धता तक अथवा 13589 एईसी स्थापित होने तक बैंक की कुल शाखा के अधिकतम 10% तक के लिए को सहायता प्रदान की जाएगी.

3. साथ ही, उपर्युक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में निम्नलिखित संशोधन के साथ दावा प्रस्तुत किया जा सकता है:

i. दावा प्रारूप में दी गई तालिका में *" अवधि जिसके दौरान एईसी की स्थापना की गई*

(i) The AEC set up between the period 01 April 2018 to 31 March 2019 are also eligible for support under FIF.

(ii) Banks can submit their claim after establishing the AEC upto 31.03.2019 (on or before 30 September 2019)

(iii) The quantum of support will be will be Rs.75,000/- per AEC, for all AECs set up between 01 December 2017 to 31 March 2019.

(iv) The support will be extended for, upto 13589 AECs, on first come-first served basis, till availability of budget, subject to a maximum of 10% of total branches of the Bank.

3. Further, the claim may be submitted in the format attached with above mentioned circular with the following modifications:

(i) In the table given in the claim format the *"Period during which AEC is set up"* should be for the

हैं" के लिए 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि होनी चाहिए.

period 01 April 2018 to 31 March 2019.

ii. उपर्युक्त परिपत्र के मद 5 (iii) में उल्लिखित जीएसटी अब 11 दिसंबर 2018 के परिपत्र संख्या 290 / डीएफ़आईबीटी-39/2018 के अनुसार अधिशासित होंगे और उसे निम्नलिखित प्रारूप में दिया जाएगा:

(ii) The treatment of GST indicated at point 5 (iii) of the above circular, is now to be governed by Circular No. 290/ DFIBT-39/ 2018 dated 11 December 2018 and is to be given in the following format:

(राशि रु .में Amount in Rs)

1.	वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय/ का लागत (कुल व्यय, न कि केवल जिनपर जीएसटी लागू है) Expenditure/Cost of Goods & Services (Total expenses, not just those liable to GST)	
2.	जीएसटी की निवल राशि: Net Amount of GST: (जीएसटी की राशि - आईटीसी की राशि, या तो प्राप्त या प्राप्य) (Amount of GST - Amount of ITC, either received or receivable)	
3.	बैंक द्वारा किया गया कुल व्यय (1 + 2): Total Expenditure incurred by the Bank (1 + 2):	

4.	दावा की गई प्रतिपूर्ति राशि Reimbursement claimed	

4. उपर्युक्त परिपत्र के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

4. Other terms and conditions of the above mentioned circular remain unchanged.

भवदीय,

(एल आर रामचंद्रन)

मुख्य महाप्रबंधक

परांकन सं.एनबी.डीएफ़आईबीटी.प्रका/13387-13425/डीएफ़आईबीटी-23/2018-19 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:

1. मुख्य महाप्रबंधक / प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालय.
2. अध्यक्ष सचिवालय, नाबार्ड, प्र.का. मुंबई .
3. डीएमडी (आरए) सचिवालय, नाबार्ड, प्र.का. मुंबई .
4. डीएमडी (एचआरडी) सचिवालय, नाबार्ड, प्र.का. मुंबई .
5. प्रधानाचार्य / निदेशक / संयुक्त निदेशक, सभी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान .
6. मुख्य महाप्रबंधक, आईडीडी, नाबार्ड , प्र.का. मुंबई .
7. मुख्य महाप्रबंधक, सीपीडी, नाबार्ड , प्र.का. मुंबई .
8. मुख्य महाप्रबंधक, डीओएस , नाबार्ड , प्र.का. मुंबई .

(पंकज कुमार)
उप महाप्रबंधक